



# हमीरपुर पुलिस



## थाना-राठ)चोरी का खुलासा,शातिर चोर 02 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार व चोरी का माल खरीदने वाला तीसरा अभियुक्त चोरी के माल सहित गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि थाना राठ में दिनांक 09.01.2021 को वादी मुकदमा श्री प्रकाश पुत्र श्यामचरन नि0 मसगवां थाना राठ हमीरपुर द्वारा अज्ञात चोरों के विरुद्ध घर में रखे सोने चांदी के सामान व नगदी चोरी दिनांक 06.01.21 को कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 10/21 धारा 380 ipc पंजीकृत कराया था। उपरोक्त घटना के खुलासे हेतु पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा प्रभारी निरीक्षक राठ को तत्काल संज्ञान लेते हुए खुलासे के निर्देश दिए गए थे जिसके फलस्वरूप मुकदमा उपरोक्त का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्तगण 1.शिवम पुत्र जागेश्वर नि0 गौरहरी थाना चरखारी महोबा 2. सीताराम पुत्र जंगबहादुर नि0 बिलरख थाना राठ जनपद हमीरपुर को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभि0 शिवम पुत्र जागेश्वर राजपूत नि0 ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा के कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा तथा अभि0 सीताराम पुत्र जंगबहादुर नि0 ग्राम बिलरख थाना राठ जनपद हमीरपुर के कब्जे से 01 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा कुल 02 किलो 800 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 8/20 NDPS एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त सीताराम के विरुद्ध धारा 10 यू0पी0 गुंडा एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई तथा उनके द्वारा दिनांक 06/01/2021 को वादी श्री प्रकाश पुत्र श्यामचरन नि0 मसगवां थाना राठ के घर मे हुई चोरी की घटना कारित करने का जुर्म इकबाल किया गया तथा चोरी का माल बेच दिया गया था जिसे रोहित सोनी पुत्र रामनारायण सोनी नि0 ग्राम गुरोरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा से सफेद धातु चांदी अजकिस्म बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रोहित सोनी को धार 413 ipc में गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया। साथ ही ये भी अवगत कराना हैं अभियुक्त सीताराम पुत्र जंगबहादुर नि0 बिलरख थाना राठ जिलाबदर अपराधी हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति का होने के कारण जिसको जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जिलाबदर घोषित किया गया था।

### बरामदगी

सफेद धातु की चांदी अजकिस्म। अन्य चोरी गया माल को गलाकर बेंच देना बताया है।

### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 श्री ललित कुमार त्रिपाठी
2. हे0का0 सुनील यादव
3. का0 पंकज यादव

### चोरी का माल बरामद करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री भारत प्रसाद
2. का0 ऋतुराज पाठक

